

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(a) के अन्तर्गत
अभिलेख संख्या-01/2024-25

—: आदेश :-

14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/12/24	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) आशनी देवी पति-स्व0 प्रेम चंद मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-रानीपोखर, थाना-हरला, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-रानीपोखर, थाना नं0-20, खाता नं0-132, प्लॉट नं0-2829, रकवा-08 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 491/भू0सु0, दिनांक 19.10.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2330 दिनांक 30.11.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन को त्रुटि निराकरण के पश्चात् प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री किये जाने वाले भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान छोटाभीखा मांझी दी0 के नाम से दर्ज है। 2. भूमि खतियान से प्राप्त है। विक्रेता खतियानी रैयत का संबंध बहु है। 3. पंजी II में दर्ज रैयत से विक्रेता का संबंध बहु है। 4. बिक्रेता-ग्राम-मधुडीह, थाना-हरला, जिला-बोकारो एवं क्रेता-ग्राम-पंचौरा, थाना-हरला, जिला-बोकारो का मूल निवासी है। 5. क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं। दोनों एक ही थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। 6. क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। 7. विक्रेता संथाल जाति के हैं एवं क्रेता संथाल जाति के हैं। 8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है। 9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/धार्मिक-स्थल/ अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है। 10. भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 2.50 ए0 जमीन अवशेष बचता है 11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार 33 डी भूमि है। 12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होगा। 13. विक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि विक्रेता को 8 डी0 खतियान द्वारा प्राप्त है। 14. जमाबंदी संख्या 949 पर छोटा भीखा मांझी के नाम से दर्ज है, जो ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-3, पृष्ठ सं0-111 में अंकित है, जिसका लगान रसीद 2023-24 तक निर्गत है। 15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है। 16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 17. जमीन का किरम रैयती, गोड़ा II है। 18. आवेदक को मौजा-रानीपोखर, थाना नं0-20, खाता नं0-132, प्लॉट नं0-2829, रकवा-8 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई। 19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।	

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHLRCO/2023/670859
दिनांक 08.10.2023 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः
JHLRCO/2021/512131 दिनांक 11.11.2021, JHLRCO/2023/05467 दिनांक 22.11.2023 की
छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार
पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(a) के तहत आवेदक
(विक्रेता) आशनी देवी पति-स्व० प्रेम चंद मांझी, जाति-संथाल, ग्राम-रानीपोखर,
टोला-मधुडीह, थाना-हरला सेक्टर 9, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत
मौजा-रानीपोखर, थाना नं०-20, खाता नं०-132, प्लॉट नं०-2829, रकबा-08 डी०
भूमि (क्रेता) 1. मालती बस्की उर्फ मालती देवी पति-सोमर मांझी, 2. उर्मिला कुमारी
पति महेन्द्र मुर्मू, जाति-संथाल, ग्राम-पंचौरा, थाना-हरला सेक्टर-9, जिला-बोकारो
को बिक्री करने की आज्ञा दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

C.C. 2884
24
26/12/24